राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 11351/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
प्रमोद कुमार खण्डेलवाल 166, गोविन्द नगर (पश्चिम) आमेर रोड जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव स्पोर्ट बोर्ड, राज. विश्वविधालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 05-03-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 13-4-17 के द्वारा सचिव के पद पर चयन से सम्बन्धित नियमों की प्रतिलिपि, वर्ष 2000 से 2017 तक बने सचिवों के नाम, वेतन-भत्ते, राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत होने वाली इन्टर कॉलेज प्रतियोगिताओं, स्पोर्ट बोर्ड की भूमिका, आदि के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उन्हें अभी तक भी चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है, अतः सूचना दिलवाई जावे। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को अपीलोत्तर दिनांक 4-1-18 की प्रति मय संलग्नक प्रेषित कर बिन्दुवार सूचना के सम्बन्ध में विनिश्चय/सूचना का प्रेषण किया गया है। यह भी निवेदन किया कि पूर्व में भी इसी प्रकार के तथ्यों पर आधारित एक अपील संख्या 6970/17 दिनांक 17-1-18 को आयोग द्वारा निर्णित की जा चुकी है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 4-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। प्रथम अपीलीय निर्णय की अनुपालना में अपीलार्थी को सूचना का प्रेषण किया जा चुका है।

7. अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)

मुख्य सूचना आयुक्त